



उपस्थिति

- 1-चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
- 2-ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
- 3-पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 36/2023-24

श्री अर्जुन नाथ
एवं समस्त ग्रामवासी
ग्राम जमतडी, पिथौरागढ़।

वादीगण

बनाम

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

विपक्षी

निर्णय

1. वादीगण ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके गांव में तीन दिन से विद्युत आपूर्ति ठप्प है जिससे जंगल के नजदीक होने के कारण जंगली जानवरों का खतरा है। उन्होंने जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिये अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 402 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई तिथि आज दिनांक 21.02.2024 में वादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विभाग की तरफ से उपस्थित श्री कैलाश चंद्र कोठारी डीलिंग असिस्टेंट ने बताया कि ग्राम जमतडी के स्थानीय लोगों से दिनांक 29.01.2024 को सांय 5 बजे दूरभाष के माध्यम से विद्युत आपूर्ति ना होने की शिकायत प्राप्त हुई। लाइन की पैट्रोलिंग करने के पश्चात 30.01.2024 को 11 केवी विद्युत लाइन में ग्राम जजराली के पास एक जम्पर खुला पाया गया जिसे उसी दिन दोपहर 1 बजे ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई थी जो वर्तमान में निर्बाध रूप से चालू है। वादी गण का कोई संपर्क दूरभाष उपलब्ध ना होने की वजह से उपरोक्त पर पुष्टि नहीं हो पाई।

आदेश

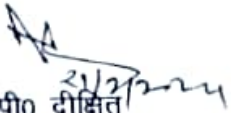
विभाग द्वारा समस्या के निराकरण करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

21/2/24

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 बसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 21.02.2024


पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता


ओपीओ दीक्षित
सदस्य तकनीकी


चामू सिंह गस्याल
सदस्य न्यायिक